इकाई 11 लिंग(भेद) को समझना

इकाई की रूपरेखा

11.1 प्रस्तावना

11.2 उद्देष्य

11.3 लिंग की अवधारणा को समझना

  11.3.1 लिंग एक सामाजिक व्याख्या है

11.4 पित्तृसत्ता की अवधारणा

  11.4.1 परिवार

  11.4.2 धर्म

  11.4.3 विधिक पद्धति

  11.4.4 राजनीतिक प्रणालियाँ और संस्थाएँ

  11.4.5 संचार माध्यम

  11.4.6 शैक्षिक संस्थाएँ तथा ज्ञान प्रणालियाँ

  11.4.7 पहचान के – सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक चिह्नकों के साथ लिंगभेद की सर्वनिष्ठता (प्रतिच्छेदन)

11.5 लिंग और शैक्षिक अनुभव

11.6 लिंग के विषय में मूलभूत सांख्यिकीय आंकड़े

11.7 सारांष

11.8 इकाई के अंत में अभ्यास

11.9 बोध प्रष्नों के उत्तर

11.10 पठनीय सामग्री

11.1 प्रस्तावना

इस इकाई के अध्ययन के फलस्वरूप आप लिंग तथा यौन जैसे शब्दों के अंतरों को पहचान सकेंगे। हम यह समझेंगे कि यौन एक जैविक शब्द है परंतु लिंग का निर्धारण सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधार पर होता है। हम यह पढ़ेंगे कि बच्चों का समाजीकरण किस भाँति लैंगिक भूमिकाओं में नहीं हो पाता, वे अपने चारों ओर हो रही घटनाओं के प्रति सक्रियता से अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं। अपने तथा अपनी सामाजिक भूमिकाओं के विषय में अधिगम करते समय बच्चे अपनी पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग पहचान के विषय में बहुत पहले बचपन में ही सीख जाते हैं।

समाज में यह भली–भाँति परिभाषित है कि परिवारों में किसके पास अधिक सत्ता या अधिकार हैं। जहाँ पुरुषों के पास अपने बच्चों पर, महिलाओं पर तथा संपत्ति पर अधिक निर्णय करने की शक्ति हो, उसे **पितृसत्ता** कहते हैं। हम पितृसत्ता तथा किस प्रकार यह लड़कियों और महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती है, के विषय में आगे पढ़ेंगे। यद्यपि षिषुओं के रूप में उनका स्वागत होता है परंतु भोजन और संसाधन, विद्यालय में प्रवेष लेने के अवसर तथा अभिगम्यता, बच्चों और अध्यापकों की अन्योन्यक्रिया, स्वयं के निर्णय लेने संबंधी अनुमति, काम के अवसर और वेतन, इत्यादि कुछ मूलपक्ष हैं जहाँ लड़कियों और महिलाओं को पक्षपात झेलना पड़ता है। इस इकाई में हम ऐसे अनुभवों के विषय में भी पढ़ेंगे।

एक विद्यार्थी या षिक्षा के अध्यापक के रूप में आपको अपने जीवन तथा आपके आसपास रहने वाली महिलाओं के जीवन में लिंगभेद तथा पितृसत्ता के निहितार्थों को समझना चाहिए। यह इसलिए भी समझना चाहिए क्योंकि लिंगभेद एक अनुभूत और जी गई यथार्थता है। महिलाओं से उनके अनुभवों के विषय में बात करें। महिलाओं के लेखों और उनकी जीवनियों का अध्ययन करें। इन पर बनी फिल्में देखें। इससे आप यह समझ पाएँगे कि किस प्रकार इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएँ अपने आपको शोषित अनुभव करती हैं। अपितु उन्हें एक और ही दृष्टि से देखा जाता है। अतः यह इकाई लिंगभेद के विषय में एक विमर्षी तथा विवेचित व्याख्या निर्मित करने के लिए लिखी गई है जो मात्र इसे पढ़ने से ही नहीं विकसित होगी अपितु हमारे चारों ओर की घटनाओं और सांस्कृतिक वस्तुओं से संबद्ध वास्तविक अनुभवों और उनमें छिपे अर्थों और आषयों के विषय में बात या संवाद करने से आएगी। इस इकाई के अंत में कुछ पाठ्यसामग्री तथा लेख सुझाए गए हैं। आप इन्हें पढ़ सकते हैं और अपने परिवार, मित्रों तथा सहकर्मियों के साथ इस विषय पर चर्चा करते समय ऐसे और अधिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।

इस इकाई के अंतिम भाग में आप भारत में लड़कियों पर देष के विभिन्न भागों से एकत्रित कुछ सांख्यिकीय आँकड़ों पर दृष्टिपात करेंगे जैसे सकल पंजीयन अनुपात (Gross Enrolment Ratio - GER), तथा लिंग अनुपात (Sex Ratio)। हम इन अनुपातों में लिंग आधारित विसंगति के कारणों की व्याख्या भी करेंगे।

11.2 उद्देष्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जाएँगे किः

- लिंग की अवधारणा के विषय में अपनी समझ को दृढ़ कर सकेंगे;
- यौन तथा लिंग शब्दों का वर्णन कर सकेंगे तथा उनके अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे;
- बच्चों में लैंगिक भूमिकाएँ स्वीकार करने तथा लैंगिक विशिष्टताएँ प्राप्त करने हेतु कार्य करने से संबंधित समाजीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे;
- बच्चों को समझने के लिए लैंगिक भूमिकाओं के प्रभाव की विवेचना कर सकेंगे;
- विभिन्न समाजों में लैंगिक भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले कारकों को अभिव्यक्त कर सकेंगे;
- लिंग के विषय में एक विमर्षी तथा विवेचित समझ के विकास के लिए कार्य कर सकेंगे; और
- जनसमूहों में लिंग आधारित विसंगतियों के कारणों की विवेचना कर सकेंगे।

11.3 लिंग की अवधारणा को समझना

लिंग की अवधारणा को समझने से पूर्व, आइए एक छोटे–से काल्पनिक प्रयास में शामिल हों। अपने घर के निकट एक बाजार की कल्पना करें। चाहे यह एक साप्ताहिक बाजार हो या नियमित। वहाँ पर हो रहे सभी क्रियाकलापों की कल्पना करें। इनमें कुछ क्रियाकलाप निम्नलिखित हो सकते हैं जैसे खरीदना, बेचना, वस्तुओं को टाँगना, कुछ खाते हुए व्यक्ति, मूल्य या गुणवत्ता के लिए मोल–तोल करते हुए या झगड़ते हुए लोग, पैसा गिनते हुए, कुछ व्यक्ति जोर–जोर से बोलकर अपने सामान की गुणवत्ता की बड़ाई करते हुए इत्यादि। बाजार में आए हुए दर्षक अकेले, परिवार के साथ या समूहों में इधर–उधर घूमते हुए हो सकते हैं। एक बच्चा एक खिलौने के लिए रो रहा है। दो बच्चों की नजर गोलगप्पों पर है।

आप अपनी आँखों से इसकी तस्वीर खींच रहे हैं। परंतु जब आप इस बाजार की और इसमें जो व्यक्ति हैं उनकी कल्पना करते हैं तो इस तस्वीर को कागज पर उतारिए या इसका आगे वर्णन दीजिए:

- इस बाजार में क्या–क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं?
- आप इस बाजार में आए व्यक्तियों की कल्पना कैसे करते हो?
- आप पहले क्या सोचते हैं, उदाहरण के लिए, वे बच्चे जो गोलगप्पों पर नज़र गढ़ाए हुए हैं, कौन हैं? लड़के या लड़कियाँ।
- जो बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, कौन होगा?
- आपके विचार में वह क्या या कैसा खिलौना होगा?
- वे व्यक्ति कौन होंगे जो घूम रहे हैं या एक समूह में खड़े हैं और जोर–जोर से बात कर रहे हैं?

जब आप इनका उत्तर देते हैं तो एक विशेष लिंग का भाव आपके मस्तिष्क में आता है। आपके मस्तिष्क में आया होगा कि वे जवान बच्चे, जो समूहों में घूम रहे हैं, लड़के होंगे और जो लड़कियाँ होंगी वे खाने–पीने की चटपटी चीजों के पास घूमती नजर आएँगी। क्या आपने उस मध्यवय स्त्री के विषय में सोचा जो मोलतोल करने में झगड़ रही है या उन लोगों (पुरुषों) के विषय में जो अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता के बारे में जोर–जोर से चिल्ला रहे हैं। यदि आपके मस्तिष्क में एक खिलौना ट्रक का विचार आया होगा तो आप उस बच्चे के बारे में सोचेंगे जो इसे प्राप्त करने के लिए चिल्ला रहा है या रो रहा है और एक लड़की एक गुड़िया के लिए रो रही होगी।

हम जो बात कहना चाहते हैं वह यह है कि लिंग एक ऐसा प्राथमिक वर्ग है जो, जब भी हम किसी सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन की कल्पना करना चाहते हैं, हमारे मन में आ जाता है। हम इस दुनिया को लिंग के रूप में संगठित करते लेते हैं चाहे यह लोगों के काम करने का मामला हो, चाहे उनके परिधान का, उनके व्यवहार का, उनके सामाजिक समूहीकरण का, उनकी रूचियों, पसंदों या नापसंदों का मामला हो।

आइए, अब इस शब्द लिंग (जैंडर) को ध्यान में समझने का प्रयास करें। लिंग का प्रयोग एक संप्रत्यात्मक (वैचारिक) श्रेणी या वर्ग के रूप में होता है। इसका संबंध किसी पुरुष या महिला के लिए अंत–संबंधित विचारों के समूह से है। हमारे उपर्युक्त बाजार स्थल के क्रियाकलाप की भाँति, समाज, पुरुष और महिलाओं में विभेद करता है और उनके लिए अलग–अलग सामाजिक भूमिकाएँ निर्धारित करता है, अतः समाज में वे भूमिकाएँ भिन्न–भिन्न होती हैं जो पुरुष तथा महिलाएँ लेती हैं। उदाहरण के लिए, परिवार के लिए पुरुष रोजी–रोटी कमाने वाले होते हैं और महिलाओं को पोषण करने का दायित्व या भूमिका दी गई है। पुरुषों का संबंध आक्रामक तथा प्रभावषाली भूमिकाओं के निर्वहन से है जैसे किसी राज्य का मुखिया या सेना का। इसके विपरीत महिलाओं के लिए वे भूमिकाएँ निर्धारित हैं जिसमें बच्चों की देखभाल या बीमारों की सेवा आदि सम्मिलित हों।

काफी वर्षों से इस प्रष्न पर कि "एक स्त्री किसे कहेंगे?" एक बहस छिड़ी हुई है। वैसे तो इस प्रष्न का उत्तर बड़ा सरल प्रतीत होता है – एक स्त्री वह होती है जिसमें एक पुरुष की तुलना में क्रोमोसोम (गुणसूत्र) का एक विशेष समूह हो तथा शारीरिक संरचना भी भिन्न हो, और वह बच्चों को जन्म देने की क्षमता रखती हो। यदि हम इसके और अधिक उत्तर चाहेंगे तो हम भ्रमित हो जाएँगे। उदाहरण के लिए, कि महिलाएँ छोटे बच्चों की देखभाल

करती हैं, तब प्रष्न उठता है "क्या यह इसलिए है क्योंकि वे बच्चे को जन्म दे सकती है, अतः उनमें बच्चों के देखभाल की प्रवृत्ति अधिक होती है। क्या महिलाओं में ऐसी कोई मानसिक योग्यता होती है जिसका अभाव पुरुषों में होता है? आज चारों ओर यह बहस हो रही है कि ऐसा क्यों है कि महिलाओं को देखभाल संबंधी भूमिकाएँ या घरेलू भूमिकाएँ दी जाती हैं। अर्थात् क्या घरेलूपन या परिवार प्रेम और देखभाल करने का संबंध नारीत्व या स्त्री वर्ग से है? इससे भी अधिक मूलभूत प्रष्न है कि क्या इसका निर्णय जैविक अंतरों के आधार पर किया गया है अथवा समाज ने ऐसा किया है।"

लिंगभेद के स्वाभाविकीकरण के इर्द–गिर्द छिड़ी बहस में यह केन्द्रीय प्रष्न है। कुछ विचारकों तथा शोधकर्त्ताओं का तर्क रहा है कि समाज में पुरुषों तथा महिलाओं के लिए भिन्न भूमिकाएँ तथा प्रतिष्ठाएँ निष्चित किए गए हैं क्योंकि वे जैविक रूप से अलग–अलग हैं तथा अतः यह स्वाभाविक एवम् अपरिवर्तनीय है। एक बार जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि समाज में पालन पोषण और देखभाल करने संबंधी भूमिकाओं को मात्र महिलाएँ संपादित कर सकती हैं तो हम महिला द्वारा की जा सकने वाली भूमिकाओं को सीमाबद्ध कर देते हैं।

सिमोन डी बियोवोर (Simone De Beauvior) ने अपनी पुस्तक *"दी सैकंड सेक्स"* में यह तर्क दिया है कि ''स्त्री जन्म से नहीं होती वह तो बाद में बन जाती है''। वह आगे कहती हैं कि जैसा पहले माना जाता था, ऐसा नहीं है कि महिलाएँ स्वाभाविक रूप से बच्चे की देखभाल और घरेलू काम के लिए बनी हैं, अपितु महिलाओं को पालन–पोषण या पढ़ाई–लिखाई के कारण पीछे कर दिया गया, या सामाजिक तथा सांस्कृतिक अपेक्षाओं के कारण या उनके लिए उपलब्ध सीमित शैक्षिक अथवा रोजगार संबंधी अवसरों के कारण वे पीछे रह गई।

लिंग (जेंडर) शब्द यौन (सैक्स) शब्द से भिन्न अर्थ लिए हुए है और अर्थ का अंतर 1970 में एन ओकली (Ann Oakley) ने महिलाओं तथा घरेलू कार्य पर अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तावित किया। **"यौन" का संबंध स्त्री और पुरुष में पाए जाने वाले जैविक, शरीर रचना संबंधी तथा जननिक अंतरों से है। इसके विपरीत लिंग शब्द का संबंध महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक भूमिकाओं से है।** कुछ समाजषास्त्रियों का यह तर्क भी रहा है कि समाज यह निर्धारित करता है कि क्या एक लड़का (लिंग की दृष्टि से) बड़ा होकर पुरुष सदृष्य बनेगा? या एक लड़की बड़ी हो कर नारीत्व रूप में व्यवहार करेगी। इसका स्पष्टीकरण कमला भसीन निम्न प्रकार देती हैं।

प्रत्येक समाज एक पुरुष या स्त्री को धीरे–धीरे एक आदमी या एक महिला में परिवर्तित कर देता है, जिनमें भिन्न–भिन्न गुण व्यवहार प्रारूप, भूमिकाएँ, उत्तरदायित्व, अधिकार और महिलाओं तथा पुरुषों की लिंग संबंधी पहचान मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक रूप से, या यह कहिए कि ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती है। यह बात हमें एक महत्वपूर्ण समझ की ओर ले जाती है कि लिंग के प्रत्यय की रचना सामाजिक रूप से होती है। जैसे–जैसे आप इस इकाई में आगे बढ़ेगे, आप इस व्याख्या को सिद्ध करने के लिए और अधिक ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकते हों।

एन ओकली ने उन समाज विज्ञानियों से तर्क किया जिनका मानना था कि परिवार में देखभाल संबंधी भूमिका अपनाना एक महिला के लिए स्वाभाविक है। आइए, इस संदर्भ में एक उदाहरण पर विचार करें। मुरडोख ने सामाजिक तथा संगठनों का अवलोकन करने के लिए दुनिया भर में दो सौ से अधिक समाजों का अध्ययन किया। उसने देखा कि महिलाएँ सब्जियाँ लाती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों को संभालती हैं जबकि पुरुष षिकार करते हैं

अथवा खनिक का कार्य करते हैं। इससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पुरुष शारीरिक रूप से अधिक शक्तिषाली या मजबूत होते हैं तथा महिलाएँ बच्चों को जन्म दे सकती हैं। अतः किसी भी समाज के लिए इस बात को पहचानना तथा महत्त्व देना तथा इसके अनुसार भूमिकाओं का विभाजन करना तर्कसंगत होगा। अतः मुरडॉख के अनुसार यह जैविक अंतर है जिसके आधार पर लिंग आधारित श्रम विभाजन (सामाजिक व आर्थिक कार्य) होता है। परंतु ओकली ने पाया कि मुरडॉख द्वारा प्रस्तुत उदाहरण में बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। ओकली ने अन्य समाजों के उदाहरण दिए जैसे इंडोनेषिया के अलोर द्वीप के, जहाँ महिलाएं बालक के पालन–पोषण का कार्य, बच्चे के जन्म के तुरंत पष्चात् परिवार में अन्य सदस्यों को दे देती हैं और स्वयं खेती बाड़ी के काम को देखती हैं। ओकली का आगे तर्क था कि सामाजिक भूमिकाएँ जैसे पत्नी तथा माता की – पुरुषों की सुविधा के लिए विद्यमान थी। उसने कहा कि मुरडॉख के निष्कर्ष तो पुरुष और स्त्री के मध्य सामाजिक संबंधों के बारे में उसके अपने परंपरागत विचारों का एक प्रतिबिंब मात्र है।

इसके अतिरिक्त बहुत से और अधिक जटिल तरीके हैं जिनके द्वारा यह स्पष्ट हो सकता है कि लिंग एक सामाजिक व्याख्या है।

दर्षनषास्त्र में हम मन और शरीर के मध्य, संस्कृति और प्रकृति के मध्य, तर्कणापरक तथा भावात्मक के मध्य द्विभाजन की बात पढ़ते हैं। इन द्विभाजनों में पुरुष उसका प्रतिनिधित्व करता है जो श्रेष्ठ और उत्कृष्ठ है अर्थात् मन, संस्कृति तथा तर्कणता तथा महिलाएँ उसका प्रतिनिधित्व करती हैं जो अधीनस्थ हैं और बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं, जैसे शरीर, प्रकृति तथा भावात्मक। अतः एक स्त्री का जीवन उसके शरीर के इर्द–गिर्द केन्द्रित रहता है अर्थात् बच्चों को जन्म देना तथा दूध पिलाना, जबकि पुरुष का सत्ताक्षेत्र मानसिक कार्य का है। इस विभाजन में मानसिक कार्य का महत्व शारीरिक कार्य से कहीं अधिक है। इस प्रकार हम यह समझते हैं कि किस प्रकार लिंगभेद सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधार पर निर्मित हुआ है, न कि केवल जैविक अंतरों के आधार पर। आइए, अब यह समझने का प्रयास करें कि यह कैसे होता है और हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ–कहाँ देख सकते हैं?

11.3.1 लिंग एक सामाजिक व्याख्या है!

वास्तव में यह कहना कठिन है कि लिंग किस भाँति स्वाभाविक या प्राकृतिक है और किस भाँति यह सामाजिक रूप से निर्मित है, क्योंकि ज्यों ही एक बच्चा जन्म लेता है, परिवार और समाज बच्चे का एक लड़के या लड़की के रूप में, समाजीकरण करना आरंभ कर देते हैं। भारत के अधिकांष क्षेत्रों में पुत्र के जन्म को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जबकि पुत्री के जन्म पर ऐसा कोई समारोह आयोजित नहीं किया जाता। पुत्रों को अधिक वात्सल्य, आदर, अच्छी खुराक, तथा अच्छी स्वास्थ्य देखभाल पर पुत्रियों को यह कहकर आशीष दिया जाता है कि "ईष्वर करें कि तुम सौ पुत्रों की माँ बनों।"

लड़कों को मजबूत, हट्टा–कट्टा तथा बहिर्मुखी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तथा लड़कियों को सादगी पसंद, आज्ञाकारी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा घर से बाहर न जाने को कहा जाता है। बच्चे क्या पहनते हैं, वे कैसे खेलते हैं, वृक्षों पर चढ़ते हैं, साइकिल चलाते हैं – ये सभी पक्ष लिंग द्वारा निर्धारित होते हैं। छोटे बहन–भाइयों की देखभाल कौन करेगा, पानी कौन लाएगा, कौन खाना पकाने या घर की सफाई में सहायता करेगा – इस भी क्रियाकलाप का निर्धारण करने में यह ध्यान रखा जाता है कि कोई लड़का है या लड़की। ये सभी लैंगिग भिन्नताएँ सामाजिक अन्योन्यक्रियाओं द्वारा निर्मित की जाती है।

यह समझना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि पुरुष और महिला की समाज में जो अलग–अलग पद/प्रतिष्ठा है, वास्तव में वह सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती है, यह मानव निर्मित है, प्रकृति का इससे बहुत कुछ लेना देना नहीं। यह वास्तव में लिंग ही है जिससे निर्धारित हुआ है कि लगभग सभी स्थानों पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधीनस्थ या छोटा समझा जाता रहा है। लड़कियों के पास कम अधिकार होते हैं, कम संसाधन होते हैं, पुरुषों की अपेक्षा अधिक समय तक कार्य करती है परंतु उनके कार्य का कम मूल्य आंका जाता है और उन्हें मजदूरी/दैनिक वेतन भी कम मिलती है। वे पुरुष और समाज की हिंसा का षिकार होती हैं और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं में उनकी निर्णय शक्ति बहुत कम होती है।

वेशभूषाः अधिकांष समाजों में लड़कियाँ और लड़के, महिलाएँ तथा पुरुष अलग–अलग प्रकार की वेशभूषाएँ पहनते हैं। कुछ स्थानों पर यह अंतर बहुत मामूली हो सकता है, परंतु कई स्थानों पर बहुत बड़ा या सख्त हो सकता है। कुछ समुदायों में महिलाओं को सिर से पैर तक अपने समस्त शरीर को ढ़के रहना पड़ता है जिसमें उनका चेहरा भी सम्मिलित होता है। पहनावे के तरीके से उन की गतिषीलता, स्वतंत्रता का भाव तथा सम्मान प्रभावित हो सकता है तथा होता है। पर्दे की परंपरा या सारे शरीर को ढ़कने की प्रथा से लड़कियों और महिलाओं की स्वतंत्रता कई रूपों में सीमित हो जाती है।

गुण : महिलाओं से यह अपेक्षा है कि उनमें भद्रता, ख्याल रखना, पोषण करना, आज्ञाकारिता आदि गुण होंगे तथा पुरुषों में मजबूती, आत्मविष्वास, स्पर्धात्मक तथा तर्कणापरकता जैसे गुण होंगे।

भूमिकाएँ तथा उत्तरदायित्व : पुरुषों को परिवार का मुखिया, रोजी रोटी कमाने वाला, संपत्ति का स्वामी तथा प्रबंधक; तथा राजनीति, धर्म, व्यापार तथा व्यवसायों में सक्रिय समझा जाता है। दूसरी ओर महिलाओं से अपेक्षा है कि वे बच्चे उत्पन्न करेंगी, उनकी देखभाल करेगी, बीमारों और वृद्ध–जनों की सेवा करेंगी, घर का काम करेंगी इत्यादि। इन कार्यों को करने के लिए उन्हें प्रषिक्षित भी किया जाता है।

आओ, अब यह समझने का प्रयास करें कि समाज किस भाँति लड़के और लड़कियों को क्रमषः पुरुषोचित तथा स्त्रियोचित भूमिकाओं के लिए उनका समाजीकरण करता है? समाजीकरण बच्चों के पालन–पोषण संबंधी क्रिया होती है जिससे कि वे अपने समाज के यथेष्ट प्रौढ़ सदस्यों के रूप में विकसित हो सकें। यह प्रक्रिया किसी भी उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है।

समाजीकरण किसी भी परिवार या समाज में सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ज्यों ही कोई बच्चा जन्म लेता है उसका लिंग निर्धारित हो जाता है। हमने उपर्युक्त अनुच्छेदों में पढ़ा कि कुछ संस्कृतियों में नवजात लड़के को जो परिवार में स्वागत् मिलता है, वह नवजात लड़की को नहीं मिलता। आगे इसी प्रकार का अन्तर या भेदभाव विभिन्न रीतियों में जारी रहता है जैसे उनके साथ किए गए संबोधन में, बर्ताव में, कपड़ों में। और इन रीतियों के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाता है कि समाज में रहने के लिए उन्हें कैसे व्यवहार करना है। समाजीकरण की वह विशिष्ट प्रक्रिया, जिससे उनकी लैंगिक भूमिकाएँ सिखाई जाती है, **लिंगीकरण (Gendering)** भी कहलाती है। विभिन्न सामाजिक विधियों के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है और उनके व्यवहार का, अभिवृत्तियों का, तथा भूमिकाओं का पुरुषोचित तथा स्त्रियोचित रूप में आभ्यंतरीकरण कराया जाता है।

रूथहार्टली के अनुसार समाजीकरण चार प्रक्रियाओं के द्वारा घटित होता है; जो इस प्रकार हैः परिचालन/व्यवहार कौषल, सरणीबद्ध करना (canalization), भाषा का प्रयोग और सक्रियता प्रभावन (activity exposure)। **परिचालन** वह तरीका है जिससे आप बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं। यह देखा गया है कि लड़कों को मजबूत (षक्तिषाली), स्वायत्त और आरंभ से ही ठीक कार्य करने वाला समझते हुए उससे व्यवहार किया जाता है। कुछ संस्कृतियों में माँ लड़की के बालों को, उसकी वेशभूषा को एक विशिष्ट स्त्रियोचित रूप देती है और उसे बताती हैं कि वह बहुत सुंदर लगती है। लड़कियों तथा लड़कों के आत्मबोध को रूप देने में पूर्व बाल्यकाल के शारीरिक अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।

दूसरी प्रक्रिया **सरणीबद्ध** करना में लड़के और लड़कियों के ध्यान को वस्तुओं और वस्तुओं के पक्षों की ओर निर्देषित करना सम्मिलित होता है। जैसे लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया देना, उन्हें बर्तन देना, तथा लड़कों को खेलने के लिए बंदूक देना, कार देना तथा हवाई जहाज देना, इत्यादि। भारत में श्रमजीवी घरों में लड़कियाँ रसोई के बर्तनों के खिलौनों से केवल खेलती ही नहीं अपितु उन्हें तो वास्तविक बर्तन साफ करने के लिए दे दिए जाते हैं। घर की सफाई का काम दे दिया जाता है, छोटे–भाई बहन की देखभाल का काम दे दिया जाता है, जब कि वे स्वयं बहुत छोटी होती हैं। दूसरी और लड़कों को विद्यालय में भेज दिया जाता है, या घर से बाहर काम करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के माध्यम से लड़के और लड़कियों की रुचियाँ अलग–अलग रूप में सरणीबद्ध (canalized) हो जाती है और वे अलग–अलग योग्यताएँ, अभिवृत्तियाँ, आकांक्षाएँ तथा स्वप्न विकसित करते हैं।

लड़के और लड़कियों के साथ **प्रयोग की जाने वाली भाषा** भी भिन्न होती है। लड़कियों को कहेंगे "अरे वाह, तुम कितनी सुंदर लगती हो" और यदि लड़का हो तो कहेंगे "तुम कितने प्रभावषाली तथा ओजस्वी प्रतीत होते हो।" शोध अध्ययन यह दर्षाते हैं कि ऐसी टिप्पणियों से लड़के और लड़कियों में पुरुषत्व और स्त्रीत्व के आत्माभिज्ञान का निर्माण होता है। बच्चे अपने आपको नर या नारी के रूप में सोचने लगते हैं, और अतः अन्य नरों या नारियों के साथ अपना–अपना तादात्म्य स्थापित करते हैं। परिवार के सदस्य बहुत छोटे बच्चों से बातचीत करते समय भी प्रत्यक्ष रूप में लिंग भूमिका के दृष्टिकोण को निरंतर संचारित करते रहते हैं और वे इस तरह वे प्रत्येक बच्चे को दिए महत्व को भी संप्रेषित कर देते हैं।

अंतिम प्रक्रिया **सक्रियता प्रभावन** (activity exposure) है। लड़के और लड़कियाँ दोनों बचपन से ही पारंपरिक पुरुषोचित्त तथा स्त्रियोचित क्रियाकलाप से प्रभावित होते हैं। लड़कियों को कहा जाता है कि उन्हें अपनी माँ के घरेलू कामकाज में सहायता करनी चाहिए, और लड़के अपने पिता के साथ बाहर जाते हैं। ऐसे समुदाय जहाँ दोनों लिंगों का पृथ्थककरण किया जाता है, लड़के और लड़कियाँ अलग–अलग स्थान पर रहते हैं और उन्हें बिल्कुल भिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चे पुरुषोचितता तथा स्त्रियोचितता के अर्थ को ग्रहण कर पाते हैं और इन अर्थों का अभ्यंतरीकरण लगभग अचेतन रूप से हो जाता है।

लीला दुबे ने लैंगिक समाजीकरण प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया है। वे बताती हैं कि इससे पूर्ण रूप से अधिकार भी लड़कियों के हक में नहीं जाते। लड़कियों की संसाधनों के प्रति अभिगम्यता कम होती है जैसे भोजन, स्वास्थ्य की देखभाल, पोषण, संपत्ति का उत्तराधिकार और सूचना के प्रति अभिगम्यता।

बोध प्रश्न

टिप्पणीः क) अपने उत्तर दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

1) क्या यौन और लिंग दोनों का अर्थ एक ही है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) लिंग से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

3) क्या आपने हाल में ही यह महसूस किया कि आपके विद्यालय में आपके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता था, क्योंकि आप एक विशेष लिंग से संबंधित थे? अपने अनुभव बताएँ।

.....

.....

.....

.....

.....

4) आपके विचार में विद्यालयों में ऐसी प्रथाएँ या पद्धतियाँ कौन–सी हो सकती हैं जो लिंगभेद मुक्त या निष्पक्ष हों।

.....

.....

.....

.....

.....

5) वे कौन–से तरीके हैं जिनमें समाजीकरण की प्रक्रियाएँ बच्चों में लैंगिक विशिष्टता के विकास में योगदान देती हैं? एक अध्यापक के रूप में आप उन कठोर लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं के साथ कैसे निपटते हैं जिनके साथ बच्चे कक्षा में आते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6) अपने आसपड़ोस की कुछ महिलाओं से बातचीत करें और यह मालूम करें कि उनके जन्म के समय किन अनुष्ठानों का अनुसरण किया जाता था; और उनका क्या महत्व था? इनके पीछे क्या–क्या संदेष है उसे विवेचित रूप से समझने का प्रयास करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11.4 पित्तृसत्ता की अवधारणा*

इससे पूर्व कि हम पित्तृसत्ता की विवेचना करें, एक नारीवादी नुक्कड़ नाटक से उद्धरित अनुच्छेद को पढ़ें जिसका नाम है "मुलगीजली हो" अर्थात् "एक लड़की पैदा हुई है"। यह एक लोकप्रिय नुक्कड़ नाटक (Street Play) मराठी से बहुत सी भाषाओं में रूपांतरित हो चुका है। इस नाटक में से एक उद्धरण हैः "आप अपनी नारीत्व की प्रतिज्ञा परित्याग न करें। आपने चूल्हा–चौका और बच्चों का ध्यान रखना है। व्यर्थ के प्रष्न न करें। अपनी सीमा का अतिक्रमण न करें। संयम से रहें। चेहरा ऊपर उठाकर बात न करें। घर के अंदर रहें, कपड़े धोएँ, बर्तन साफ करें, भोजन पकाएँ और परोसे। नेत्रों को विचलित न होने दें। नारीत्व की अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग न करें"। यह अनुच्छेद सही रूप में चित्रण करता है कि एक लड़की के रूप में पैदा होना, क्या होता है?

यह जानने के लिए कि किस प्रकार वे मानदंड तथा प्रथाएँ जो महिलाओं को पुरुषों से तुच्छ मानती हैं और महिलाओं पर नियंत्रण का प्रयोग करती हैं, हमारे परिवारों में, सामाजिक संबंधों में, धर्मों में, कानूनों, विद्यालयों, पाठ्यपुस्तकों, संचार माध्यमों, फैक्टरियों तथा कार्यालयों में सर्वत्र विद्यमान हैं।

* इस भाग का अधिकतर हिस्सा इग्नू के लिंगभेद पाठ्यक्रम से लिया गया है। इसको संपादित किया गया है, इसकी भाषा को बदला गया है तथा इसमें उदाहरणों को जोड़ा गया है।

आइए, अब पित्तृसत्ता अवधारणा की विवेचना करें:

सर्वप्रथम हमें यह समझना पड़ेगा कि यह "महिलाओं के प्रति दमन" किस प्रकार मात्र एक या दो उदाहरण न होकर एक व्यवस्था का रूप धारण कर चुका है। पित्तृसत्ता से अभिप्रायः है–पुरुष का आधिपत्य और उत्कर्ष, पुरुष का नियंत्रण, जहाँ महिलाएँ अधीनस्थ हैं। पित्तृसत्ता वास्तव में कैसे कार्य करती है? क्या हम इसे अपने जीवन में पहचान सकते हैं? यदि हम ध्यान से विश्लेषण करें तो पाएँगे कि लगभग तमाम आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएँ, सब मिलाकर पुरुषों द्वारा नियंत्रित हैं। समाज की मुख्य संस्थाओं का विश्लेषण दर्षाता है कि वे सभी स्वभावतः पित्तृसत्तात्मक है। परिवार, धर्म, संचार माध्यम, कानून सभी पित्तृसत्तात्मक प्रणाली के स्तंभ हैं। इस सुगठित तथा गहरी प्रणाली के कारण ऐसा लगता है कि पित्तृसत्ता नैसर्गिक प्रणाली है और समाज को संगठित करने का एक मात्र मार्ग है। आइए, अब प्रत्येक पित्तृसत्तात्मक संस्था का अलग से अध्ययन करें।

11.4.1 परिवार

परिवार नामक संस्था जो समाज की मूल इकाई है संभवतः सर्वाधिक पित्तृसत्तात्मक है। पित्तृसत्ता एक सामाजिक तथा वैचारिक व्याख्या है जो पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ मानती है। पुरुष को कुटुम्ब का मुखिया समझा जाता है; परिवार के अंदर वह स्त्री की लैंगिकता, कार्य, प्रजनन तथा गतिषीलता पर नियंत्रण रखता है। यह एक ऐसी श्रेणीबद्धता है जिसमें पुरुष श्रेष्ठ और प्रबल है तथा स्त्री, हीन एवं अधीनस्थ है। पित्तृसत्तात्मक मूल्यों में समाजीकरण के लिए परिवार भी महत्वपूर्ण है। यह परिवार ही है जिसमें हम श्रेणीबद्धता का, अधीनता या दमन का तथा भेदभाव का प्रथम पाठ सीखते हैं। लड़के अधिकार जमाना तथा प्रभाव डालना सीखते हैं। लड़कियाँ अधिकार मानना सीख जाती हैं। यह सही है कि पुरुष नियंत्रण की व्यापकता तथा प्रकृति विभिन्न समाजों में अलग–अलग हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं कि यह बिल्कुल न हो।

> भौतिक निगरानी के अतिरिक्त, जो एक संयुक्त पारिवारिक जीवन में निहित है, संयुक्त परिवार की सफलता के लिए अन्य रूपों में नियंत्रण भी महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसी विधियां सम्मिलित हैं जैसे महिलाओं और बच्चों (और प्रौढ़ व्यक्तियों को भी, जो कुटुंब के मुखिया से छोटे हैं) को ऐसे नियमों के द्वारा चुप कराकर, जो उनके बोलने का अवसर नहीं देते हैं जैसे पर्दे की प्रथा से महिलाओं को अलग करके, ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा जो पुरुष जाति की श्रेष्ठता दर्षाते हैं और पारिवारिक इकाई का महत्व बताते हैं और ऐसी प्रथाओं द्वारा जैसे भोजन संबंधी नित्यक्रिया जो पुरुष पर श्रेष्ठता की छाप छोड़ती है। उदाहरण के लिए, एक महिला को यदि बोलना है तो वह अपने ससुर या अन्य बड़े पुरुषों के साथ केवल फुसफुसा सकती है या कानाफूसी कर सकती है, अपने माता–पिता की उपस्थिति में एक पुरुष को अपनी पत्नी के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए और न ही वह पुरुष अपने पिता के सम्मुख कोई अशिष्ट कार्य करेगा (जैसे सिगरेट, बीड़ी पीना)। एक महिला उन पुरुषों की उपस्थिति में अपने सिर को ढके रखेगी जो उसके पति से आयु में बड़े हैं। वह तब तक घर से बाहर नहीं जा सकती जब तक कोई अन्य महिला या पुरुष संबंधी साथ न हो और उसका शरीर और सिर, शाल आदि से न ढ़का हो। वार्षिक पंचांग में ऐसे बहुत से उत्सव भरे पड़े हैं जहाँ स्त्री को अपने पुत्रों के स्वास्थ्य के लिए, अपने पति की लम्बी आयु के लिए और अपने भाइयों की भलाई के लिए ईष्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है। इस पंचांग में एक भी ऐसा अनुष्ठान नहीं है जहाँ उसे अपनी माँ या बेटियों के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। एक और बात, अन्त में एक हिन्दु पत्नी

को तब तक खाना नहीं खाना चाहिए जब तक उसके पति ने भोजन नहीं कर लिया हो, परिवार के बड़े पुरुष सदस्यों ने खाना न खा लिया हो। यदि महिला इस नियम का उल्लंघन करती है तो अत्यंत अशिष्ट व्यवहार समझा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि महिलाओं को रात में देर से भोजन करना पड़ता है, जब सभी पुरुष सदस्य खेतों या कस्बों से आकर भोजन कर लेते हैं।

वेडली, सुसान, एस. (2010), *वन स्ट्रा फ्रोम ं ब्रूम कैन–नॉट स्वीप : एवरीडे लाईफ इन साउथ एषिया।* यू.एस.ए.: इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेस, http://www.books.google.co.in से लिया गया।

11.4.2 धर्म

अधिकांष आधुनिक धर्म पित्तृसत्तात्मक हैं जिनमें पुरुष सत्ता को सर्वोच्च माना जाता है। वे एक पित्तृसत्तात्मक धर्म संघ प्रस्तुत करते हैं जो अलौकिक रूप से निष्चित है। "षक्ति का स्त्रैण (Feminine) सिद्धांत जो पहले विद्यमान था धीरे–धीरे कमजोर पड़ता गया है। अतः देवियों को देवताओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। सभी मुख्य धर्म उच्च जातीय पुरुषों द्वारा बनाए गए, उनकी व्याख्या की गई तथा नियंत्रित किए गए। उन्होंने ही नैतिकता, नीतिषास्त्र, आचरण और कानून को भी परिभाषित किया। उन्होंने ही पुरुषों और महिलाओं के कर्त्तव्य और अधिकार तथा उनके पारस्परिक संबंध निर्धारित किए। उन्होंने राज्य की नीतियों को प्रभावित किया और अधिकांष समाजों में आज भी मुख्य बल वही है, दक्षिण एषिया में उनकी शक्ति तथा विद्यमानता विषाल है। उदाहरण के लिए, भारत में यद्यपि यह एक मतनिरपेक्ष देष है, विवाह–षादी, तलाक तथा उत्तराधिकार की दृष्टि से एक व्यक्ति की कानूनी पहचान उसके धर्म से ही निर्धारित की जाती है।

विभिन्न धर्मों ने पुरुषों और महिलाओं के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण किया है। उदाहरण के लिए, ईसाई धर्म में महिला की रूढ़िबद्ध धारणा एक "ईव" (Eve) की है, जिस पर आरोप लगाया कि उसने (ईव ने) एडम को मूल पाप (original sin) करने के लिए प्रेरित किया या उकसाया। भारतीय पौराणिक कथाएँ ब्रह्मांड के सृजन की व्याख्या करती हैं, जिसमें एक उभयलिंगी सत्ता है अर्थात् आधा पुरुष और आधी महिला रूपी अवतार हैं। परंपरागत भारतीय समाज मुख्यतः कृषि पर आधारित है और यह प्रकृति के साथ एक सहजीवी (symbiotic) संबंध स्थापित करता है। नारीत्व को प्रकृति के साथ जोड़ा गया है और प्रकृति का प्रकार्य क्रिया (लीला) है। आद्य शक्ति की अवधारणा पूर्णरूपेण स्त्रैण है। यह सिद्ध करने के लिए कि प्रत्येक धर्म में महिला को निम्न, अपवित्र, पापमय मानता है, पर्याप्त विश्लेषण विद्यमान हैं। परंतु आष्चर्य की बात यह है कि नैतिकता और आचरण के दोहरे मापदंड कैसे बनाए और किस प्रकार धार्मिक संहिता (नियम) प्रायः "पथभ्रष्ट" महिला के लिए हिंसा के प्रयोग को उचित ठहराते हैं।

11.4.3 विधिक पद्धति

अधिकांष देषों में प्रचलित विधिक पद्धति पित्तृसत्तात्मक तथा बुर्जुआ (मध्य वर्गीय) दोनों हैं, अर्थात् यह पुरुषों और आर्थिक रूप से सषक्त वर्ग के हक में है। परिवार, विवाह, तथा उत्तराधिकार संबंधी कानून बहुत हद तक संपत्ति के पित्तृसत्तात्मक नियंत्रण से जुड़े हैं। दक्षिण एषिया में प्रत्येक विधिक पद्धति में पुरुष को परिवार का मुखिया माना गया है – जो बच्चों का प्राकृतिक अभिभावक है और संपत्ति का प्राथमिक उत्तराधिकारी है। न्यायषास्त्र, न्यायपालिका, न्यायाधीष तथा अधिवक्ता अपनी अभिवृत्तियों में तथा कानून की व्याख्या की दृष्टि से अधिकांषतः पित्तृसत्तात्मक हैं।

11.4.4 राजनीतिक प्रणालियाँ और संस्थाएँ

ग्राम परिषद से लेकर संसद तक समाज मे सभी स्तरों पर राजनीतिक संस्थाएँ पुरुष प्रधान हैं। राजनीतिक दलों में या संगठनों में जिनसे देष के भाग्य का निर्माण होता है केवल गिनी–चुनी महिलाएँ हैं। जब भी किसी महिला ने कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थान धारण किया है, (जैसे श्रीमेवो भंडारनायक, इंदिरा गाँधी, बेनजीर भुट्टो, ख़लीदा जिया) वे इसलिए इस स्थान तक पहुँच पाई हैं क्योंकि उनका संबंध किसी शक्तिषाली पुरुष व्यक्तित्व से था; और वे पुरुषों द्वारा निर्धारित संरचना तथा सिद्धांतों के अंदर ही कार्य कर सकी। इसके बावजूद कि यह (दक्षिण एषिया) विष्व में एक मात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें इतनी संख्या में देष की मुखिया महिलाएँ रही, तथापि दक्षिण एषिया में संसद में महिलाओं की संख्या, कहीं भी और कभी भी दस प्रतिषत से अधिक नहीं रही।

11.4.5 संचार माध्यम

वर्ग और लिंगभेद संबंधी विचारधारा को प्रचारित करने के लिए उच्च वर्ग और उच्च जाति के हाथ में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी साधन है। फिल्मों से लेकर दूरदर्षन, पत्रिकाओं, समाचारपत्रों, रेडियो इत्यादि के माध्यम से किया गया महिला का चित्रण रूढ़िबद्ध तथा विकृत है। पुरुष श्रेष्ठता तथा महिला की हीनता या अधीनता संबंधी संदेष निरंतर रूप से दोहराए जाते हैं, तथा महिला के विरुद्ध हिंसा, विशेषकर फिल्मों में अत्यधिक रूप में प्रचलित है। दूसरे क्षेत्रों में, संचार माध्यमों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इसके अतिरिक्त रिपोर्टों में, प्रसारणों में, विज्ञापन तथा संदेष अब भी लिंग प्रधान है।

तथापि हम कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी देख रहे हैं जैसे रेमंड का आधुनिक पुरुष – जिसे कुछ स्त्रैण विशेषताएँ रखने में कोई समस्या नहीं है। संचार माध्यम में महिला के कुछ ग़ैर–रूढ़िबद्ध चित्रण भी है। नीचे बॉक्स में दी गई पाठ्यवस्तु को पढ़े, यह समझने के लिए कि किस प्रकार मुद्रित संचार माध्यम अति सूक्ष्म व प्रखर रूप में लिंग का पुनरुत्पादन करते हैं। इष्षिता चंदा, सानंदा और मनोरमा पत्रिकाओं की विषयवस्तु का विश्लेषण करती है और तर्क देती है कि ये मुद्रित संचार माध्यम समाज में व्याप्त रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुनः उत्पन्न करते हैं, जबकि ऊपर से लगता है कि ये समाज में एक आधुनिक, विमुक्त महिला की अवधारणा का समर्थन करते हैं। सानंदा तथा मनोरमा महिलाओं की पत्रिकाएँ हैं जिनका प्रकाषन बंगाली भाषा में होता है और जो उसका प्रक्षेपण करती है जो बंगाली भद्रलोक महिलाओं से अपेक्षा है और जो उन्हें बनना चाहिए।

सानंदा उतना ही अच्छा है जितना इस शब्द का अर्थ। उदाहरण के लिए सौंदर्य को लीजिए। सौंदर्य की शास्त्रीय अवधारणा जो प्राचीन संस्कृत साहित्य में दी गई है, अत्यधिक रूप से सर्वषक्तिमान की दया पर निर्भर करती है। सुंदर त्वचा हो और सीधा नाक हो इस तरह के विशेषण सानंदा की अवधारणा पर सही नहीं उतरते। अतः सौंदर्य की पुनः व्याख्या की गई है जिसमें उन्हें सम्मिलित किया गया है जो परंपरागत रूप से सुंदर नहीं हैं – इन मुद्दों में काली त्वचा वाली लड़कियाँ, छरहरी (पतली) लड़कियाँ, तथा मोटी लड़कियाँ तथा सभी लड़कियों के लिए सुंदर बनने की निर्देषिका दिखाई देती है। अतः सुंदरता एक ऐसा लक्षण है जो एक प्रक्रिया का अनुसरण करके प्राप्त किया जा सकता है और जिसका विस्तार करके इसके अंतर्गत ब्युटी पार्लर विषय सम्मिलित किया जा सकता है। साथ–साथ सौम्यता, आकर्षण, सफलता तथा मोहकता पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है जो परिष्कृत पालिष के अंतिम स्पर्ष से आती है। हालाँकि ऐसा तर्क भी दिया जा सकता है कि सुंदर रूप रंग की प्राप्ति जो महिला के स्वर की रचना के लिए अनिवार्य बनाई गई है, प्राचीन

काल में उच्च वर्ग की महिलाओं तक सीमित थी जो अपने सौंदर्य की रक्षा बहुत स्पर्धात्मक रूप से करती थी। सानंदा इस रूप में प्रगतिवादी है कि यह ऐसा ज्ञान मध्यवर्गीय महिलाओं को भी संचारित करती है। वास्तव में उस किसी को भी जो हर पन्द्रह दिनों में 7 रुपये खर्च करने की हिम्मत रखती है।

क्या आपने हाल में कोई महिला पत्रिका पढ़ी है? किसी एक पत्रिका को उठाइए उसमें प्रकाषित प्रकरणों का विश्लेषण कीजिए। किसी एक लेख का लगातार विश्लेषण करें। देखें कि इस लेख के अनुसार महिलाओं के लिए कौन–से मूल्यों को अनुमोदित किया गया है और उनमें इन मूल्यों को कैसे पोषित किया जा सकता है?

इषिता चंदा, *Birthing Terrible Beauties, In feminism in India*

11.4.6 शैक्षिक संस्थाएँ तथा ज्ञान प्रणालियाँ

जबसे अधिगम और षिक्षा औपचारिक तथा संस्थागत बने, लोगों ने ज्ञान के सभी क्षेत्रों – दर्षनषास्त्र, धर्म विज्ञान, विधि, साहित्य, कला, विज्ञान – पर अपना नियंत्रण जमा लिया है। ज्ञान के सृजन पर पुरुष के आधिपत्य ने महिलाओं के ज्ञान तथा अनुभवों, उनकी विशेषज्ञता तथा आकांक्षाओं को हाषिए पर ला दिया है। आधिपत्य से यहाँ तात्पर्य है पुरुषों और महिलाओं की शक्तियों का असंतुलन, जहाँ पुरुषों को प्राथमिकता मिलती हो।

बहुत सारी संस्कृतियों में महिलाओं को धर्मग्रंथ पढ़ने से बड़े व्यवस्थित ढंग से रोका जाता था; और आज भी बहुत कम महिलाएँ हैं जिन्हें धार्मिक और कानूनी पुस्तकों की पुनर्व्याख्या करने की अनुमति दी जाती है। कुछ स्त्रैणवादियों के अनुसार, पित्तृसत्तात्मक विचारधारा तथा ज्ञान की विशेषता विभाजन, भेदभाव, विरोध तथा द्वित्व है। उनका दावा है कि पित्तृसत्ता मन से पदार्थ को, स्व से अन्य को, तर्कणा से भावना को तथा जाँचकर्त्ता से जाँची जाने वाली वस्तु को प्रतिकूल मानती है। इन प्रतिकूलताओं में द्वित्व का एक पक्ष दूसरे पक्ष से अधिक मूल्यवान समझा जाता है। पित्तृसत्तात्मक ज्ञान प्रणालियों में विशिष्टीकरण पर बल दिया जाता है जिसमें ज्ञान को सूक्ष्म उपखंडों में बाँट दिया जाता है तथा टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है; परिणाम स्वरूप हम समग्र तथ्य या घटना को नहीं देख पाते।

पुरुष प्रधान ज्ञान तथा षिक्षा ने पित्तृसत्तात्मक विचारधारा को जन्म दिया तथा इसे आगे बढ़ाया है, सिल्विया वालबाइ (Sylvia Walby) जिसे "आत्मपरकता के लिंग–विभेदीकृत रूपों के प्रकार" (a variety of gender-differentiated forms of subjectivity) का नाम देती हैं, पुरुष और महिलाएँ भिन्न रूप में आचरण करते हैं, सोचते हैं तथा आषा करते हैं क्योंकि उन्हें पुरुषत्व तथा नारीत्व के रूप में सोचना–सिखाया गया है।

संसार का प्रतिनिधित्व पुरुष का कार्य है, संसार अपने आप जैसा है, वे इसका अपनी विचारधारा से वर्णन करते हैं,

सिमोन डी बियोवोर (Simone De Beauvior), *दी सैकंड सेक्स*

11.4.7 पहचान के सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक चिह्नकों के साथ लिंगभेद की सर्वनिष्ठता (प्रतिच्छेदन)

जब हम पित्तृसत्ता का अवलोकन करते हैं, तो आपके लिए समझना महत्वपूर्ण होगा कि लिंग अकेला कार्य नहीं करता। यह अन्य कारकों के संयोजन से कार्य करता है : जैसे, क्या महिला धनी है या निर्धन, वह किस जाति की है, वह किस धर्म की है, क्या वह निःषक्त

है। पहचान की ये त्रुटियाँ एक–दूसरे के साथ प्रतिच्छेदन करती है ताकि अधिक से अधिक प्रभाव आ सके। आप नीचे दिए उदाहरणों को पढ़ सकते हैं। निम्न जातियों की महिलाओं की जीवन कथाएँ पढ़े (विरम्मा या आलो–आंधरी) या उन महिलाओं के विषय में पढ़े जिन्होंने विभाजन के समय हिंसा के आवेग का सामना किया (दी अदर साइड ऑफ साइलेंस)।

> मैं यहाँ एक दाई का काम करती हूँ। मेरा जन्म तमिलनाडु के एक गाँव वेल्पक्कम में हुआ; और जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने पति के घर करनी में आ गई। उस समय मैं एक छोटी बच्ची ही थी। मैं एक खेतिहर मजदूर हूँ और मेरे पूरे परिवार की तरह मैं एक दासी हूँ और करनी के सबसे धनी जमींदार के पास एक बंधुवा मजदूर की तरह काम करती हूँ। हम पारिया (हरिजन) हैं। अतः हम दूसरी जातियों से दूर रहते हैं; हम गाय का माँस खाते हैं। हम शवयात्रा (अन्येष्टि) तथा शादी के समय ढ़ोल बजाते हैं, क्योंकि केवल हम ही गाय के चर्म को स्पर्ष कर सकते हैं। हम खेत जोतते हैं। मेरा पुत्र अनबिन मेरी गलती ठीक करता, जब मैं पारिया कहती हूँ, वह कहता है "हरिजन" कहो। प्रतिदिन राजनीतिक दलों के लोग गाँव में आते हैं और अधिक वेतन (मजदूरी) की माँग करने की कहते हैं और जातिवाद का विरोध करने को कहते हैं। और वास्तव में वे ऐसा चाहते हैं, परंतु हमारी गुजर कैसे होगी? हमारे पास तो कोई जमीन नहीं है और न ही कोई खेत।
>
> विरम्मा – *लाईफ ऑफ ए दलित*

जरा नीचे दिया हुआ उद्धरण भी पढ़ें और यह समझने का प्रयत्न करें कि निम्न जाति की एक गरीब स्त्री अपने जीवन और जीवन के विकल्पों का प्रबंध कैसे करती है?

> जाति से जुड़े व्यवसायों की निरंतरता में स्त्री के कार्य के महत्व की सांस्कृतिक पहचान स्पष्ट है ..... परिवर्तनों की अवस्थितियों में महिलाओं को प्रायः जाति आधारित व्यवसायों को जारी रखने का उत्तरदायित्व लेना पड़ता है तथा परिवार को सहारा देना पड़ता है। एक झाड़ू देने वाली महिला पर दिल्ली में हुए एक अध्ययन में कार्लेकर ने पाया कि जहाँ पुरुष परंपरागत रूप से अपनाए गए अपनी जाति के दूषित व्यवसायों को लगातार छोड़ते जा रहे हैं, महिलाएँ उन्हीं परंपरागत व्यवसायों को अपनाए हुए हैं। महिलाओं को अपने परिवार के उन पुरुषों को सहारा देना पड़ता है जो नए व्यवसायों में प्रवेष पाने के लिए उपयुक्त कौषलों को प्राप्त करना चाहते हैं या आय के स्वतंत्र स्रोतों की खोज करना चाहते हैं। पुरुष यदि कोई भी कारोबार नहीं करते हैं तो लड़कों को विद्यालय में भेजा जाता था, जबकि छोटी आयु में ही लड़कियाँ अपनी माँ के साथ काम में हाथ बँटाने लग जाती थी।
>
> *लीला दुबेः कॉस्ट एंड वुमैन इन एंथ्रोपॉलोजिकल एक्सप्लोरेषन इन लिंग*

बोध प्रष्न

टिप्पणीः क) अपने उत्तर दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

7) पित्तृसत्ता से क्या अभिप्राय है?

.....

.....

8) किन–किन रूपों में परिवारों और कुटुम्बों का व्यवहार पित्तृसत्तात्मक होता है? कुछ ऐसे तरीकों को स्पष्ट करें।

.....

.....

.....

.....

.....

9) क्या आपने मातृसत्तात्मक समाजों के विषय में पढ़ा है? ऐसे समाजों में पुरुषों और महिलाओं की स्थिति भिन्न कैसे है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये समाज पुरुषों के प्रति दमनकारी हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

10) गुप्त पाठ्यचर्या क्या होती है और यह पित्तृसत्ता को कैसे बढ़ावा देती है?

.....

.....

.....

.....

11) सिमोन डी बियोवोर (Simone De Beauvior) अपनी पुस्तक *दी सैकंड सेक्स* में लिखती हैं कि "पुरुष और महिलाओं में अंतर विभिन्न प्रकार से उचित ठहराया गया है जैसे धर्म, दर्षनषास्त्र, मनोविज्ञान, समाजषास्त्र, जीवविज्ञान" इनमें से किसी एक को चुनिए तथा पित्तृसत्तात्मक संस्थाओं के संदर्भ में उसकी व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11.5 लिंग और शैक्षिक अनुभव

इस अनुच्छेद में आगे बढ़ने से पूर्व आइए, एक कक्षा से ली गई एक टिप्पणी का अध्ययन करें।

अध्यापिका कक्षा चौथी की एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तक से "सुनीता विलियम्स" के एक अध्याय पर चर्चा कर रही है। उसने अपने विद्यार्थियों से पूछा कि क्या उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों के विषय में पढ़ा है। कक्षा के बहुत से विद्यार्थियों ने "हाँ में उत्तर दिया, "हाँ, मैंने पढ़ा है।" अध्यापिका ने उनसे कहा, "तो आप अन्तरिक्ष यात्रियों के बारे में लिखें और उनकी आकृतियाँ भी बनाएँ, यह कल्पना करते हुए कि वे अन्तरिक्ष में कैसे घूमते होंगे या अपने राकेट में बैठे कैसे दिख रहे होंगे। आष्चर्य की बात है कि लगभग सभी छात्रों ने पुरुष अन्तरिक्ष यात्रियों की आकृतियाँ बनाई। अध्यापिका ने पूछा, "महिलाएँ अंतरिक्ष में यात्रा क्यों नहीं कर सकती?"

एक लड़का उत्तर देता हैः नहीं मैम, लड़कियाँ नहीं कर सकती।

अध्यापिकाः क्या आप सुनीता विलियम्स के विषय में नहीं पढ़ने जा रहे हो तो एक महिला अंतरिक्ष यात्री थी।

दूसरा लड़काः दीदी सुनीता विलियम्स एक अपवाद है, लड़कियाँ अंतरिक्ष में नहीं जा सकती।

पहला लड़का आगे कहता हैः वास्तव में दीदी लड़कियाँ प्रत्येक कार्य नहीं कर सकती।

एक लड़की कहती हैः यह सच नहीं है, लड़कियाँ बहुत सारे कार्य कर सकती हैं।

एक लड़काः क्या तुम तेज दौड़ सकती हो? क्या तुम वृक्षों पर चढ़ सकती हो? क्या तुम एक बड़ी चित्रकार बन सकती हो? क्या तुम तबला बजा सकती हो?

अध्यापिकाः हाँ निःसंदेह, लड़कियाँ वे सब कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं; और वास्तव में वे इससे भी अधिक कर सकती हैं। देखो, मैं आपकी अध्यापिका हूँ और मैं एक महिला हूँ। आइए, हम कक्षा में एक परियोजना करेंगे। आप उन कार्यों की एक सूची तैयार करेंगे जो आपकी माँ घर और घर के बाहर कार्य करती हैं। इसी प्रकार अपने पिता के लिए भी एक ऐसी ही सूची बनाएँ। इस सूची को तैयार करके कल कक्षा में लाएँ। हम इन सूचियों को अलग–अलग लिखेंगे और देखेंगे कि कौन अधिक कार्य करते हैं।

कल्पना कीजिए कि उपर्युक्त उदाहरण 8–10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की कक्षा से संबंधित है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कथनों पर ध्यान दीजिए। ये कथन लड़के और लड़कियों तथा पुरुष तथा महिलाओं के बारे में उन गहरी धारणाओं तथा विष्वासों का स्पष्ट प्रतिबिंबन करते हैं जो वे कर सकते हैं और जो वे नहीं कर सकते। विद्यार्थी इन भूमिकाओं का आरोपण, उस व्यक्ति के लिंग के आधार पर करते हैं। यदि कोई लड़की हो और यद्यपि वह इस आयु में शारीरिक क्षमता की दृष्टि से अपने बराबर की आयु के लड़के का मुकाबला कर सकती हो तो भी ऐसा माना जाता है कि वह बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती। इस संदर्भ में हमारे सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं।

कक्षा में अध्यापक की भूमिका क्या होती है? वह इन रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रष्न पूछ सकती है, आपत्ति कर सकती है, इन मुद्दों को प्रत्यक्ष रूप में संबोधित कर सकती है और अन्य उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। दूसरी ओर, हम यह भी आपत्ति कर सकते हैं कि अध्यापक स्वयं भी उसी समाज का भाग है जहाँ ये रूढ़ियाँ उपस्थित हैं और वह अपनी धारणाओं से अवगत ही न हो, ये धारणाएँ इतनी गहरी हैं और इतनी सूक्ष्म हैं कि उस व्यक्ति को पता

ही न चले कि ऐसी आस्थाएँ अस्तित्व में हैं भी या नहीं। ये अन्योन्यक्रियाएँ हमारी गुप्त पाठ्यचर्या का भाग बनते हैं।

विद्यालय में लिंग संबंधी मुद्दों का अस्तित्व हमारी गुप्त पाठ्यचर्या से अलग है। आइए, समझने का प्रयास करें कि ये मुद्दे क्या हैं?

अभिगम्यता (access) का मुद्दा : षिक्षाविद् तथा सामाजिक विज्ञानी जिनकी रूचि लिंगभेद में है उन्होंने अपना ध्यान निम्नलिखित पर केन्द्रित किया है:

- ऐसी कितनी लड़कियाँ हैं जिनके घरों के निकट विद्यालय विद्यमान हैं?
- प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च षिक्षा में लड़के और लड़कियों के पंजीयन में कितना अंतर है?
- इन सभी शैक्षिक स्तरों पर लड़के और लड़कियों के लिए षिक्षापूर्ण करने तक टिके रहने की स्पष्ट दरें कितनी हैं?
- माध्यमिक और उच्च षिक्षा में लड़के और लड़कियों के लिए उपलब्ध विषय विकल्प कितने हैं? और वे शैक्षिक अवसर तथा अनुभव कौन से हैं, जो लड़के और लड़कियों के विकल्पों को सीमित करते हैं। उदाहरण के लिए, उच्च कक्षाओं में विज्ञान और गणित विषयों को लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक क्यों चुनते हैं?
- विद्यालय की या उच्च षिक्षा की पढ़ाई पूरी करने के पष्चात् युवाओं और युवतियों के लिए कौन–से कैरियर संबंधी विकल्प हैं?

ज्यों–ज्यों हम इन प्रष्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, हमें पर्याप्त मात्रा में आँकड़ों की आवष्यकता पड़ेगी। ये आँकड़े सर्वेक्षण आधारित संगठनों से, जैसे राष्ट्रीय प्रतिदर्ष सर्वेक्षण संगठन (National Sample Survey Organisation – NSSO) से प्राप्त किए जा सकते हैं। इन समस्याओं की मात्रा या सीमा को समझने के लिए आँकड़ों को ध्यान से देखिए। जैसे आप आँकड़ों के बंटन पर नजर डालते हैं, "सभी लड़कों" और "सभी लड़कियों" को श्रेणीबद्ध करना सरल नहीं होगा। परंतु पहचान के अन्य महत्वपूर्ण पक्षों – जैसे सामाजिक वर्ग, जाति, ग्रामीण/षहरी निवास, निःषक्तता आदि – को ध्यान में रखें तो सामाजिक भेदभाव को समझा जा सकता है।

हमारे लिए चिंता का दूसरा क्षेत्र है **विद्यालय के दैनिक जीवन में लिंग की व्याख्या**। शोधकर्त्ताओं ने कक्षाओं का निकट से अवलोकन करके पता लगाया कि वहाँ पर ऐसी प्रथाओं के प्ररूप प्रचलित हैं जो विभिन्न रूपों में पुरुषत्व तथा नारीत्व की व्याख्या के लिए प्रेरित करती है। इस संदर्भ में कुछ मुद्दे जो उभर कर आए वे नीचे दिए जा रहे हैं:

- पाठ्यचर्या तथा इसमें पुरुष और महिलाओं; लड़के और लड़कियों का चयनात्मक चित्रण।
- स्वयं ज्ञान को पित्तृसत्तात्मक समझा गया है। इस सूक्ति (phrase) को समझने के लिए "लैंगिक मुद्दे तथा षिक्षा" पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2005 पर नजर डालें।
- विद्यालय लड़के और लड़कियों के अंतरों को बढ़ा चढ़ा कर दर्शाते हैं।

विद्यालय में लिंग का उपयोग संगठन के साधन के रूप में अथवा सामाजिक नियंत्रण या अनुषासन के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ आपने बहुधा देखा होगा कि जब बच्चों को प्रार्थना सभा में पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो लड़के और लड़कियों को अलग–अलग पंक्तियों में खड़ा होने के लिए कहा जाता है। जब किसी लड़के या लड़की को अभद्र व्यवहार के लिए दंडित किया जाना होता है, उन्हें विपरीत लिंग के साथ अनावष्यक घसीटा

जाता है। क्या आप ऐसे और उदाहरण सोच सकते हैं? बच्चे कक्षा में कैसे बैठते हैं? मध्याह्न भोजन कौन बाँटता है? कक्षा की सफाई के लिए उत्तरदायी कौन है? कक्षा का मॉनीटर कौन है? जरा विचार कीजिए कि अध्यापक के लिए लिंग के आधार पर इनका चुनाव करना क्यों अनिवार्य था? और इस प्रकार आप समझ जाएँगे कि लिंग हर जगह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? एक अन्य संबंधित विवाद यह है कि विद्यालयों में एक ही लिंग के समूह बनाने अधिक लाभदायक होंगे अथवा मिश्रित लिगों के?

तृतीय महत्वपूर्ण क्षेत्र लिंगीय संबंधों का है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, जन्म के साथ से ही लड़के और लड़कियों के साथ अलग–अलग व्यवहार किया जाता है। प्रौढ़ों और बच्चे के बीच अन्योन्यक्रियाओं में हमें रूढ़ियों, आस्थाओं तथा रूपकों के अलग–अलग प्रारूप देखने को मिलते हैं। आइए, यहाँ एक उदाहरण पर चर्चा करें। अध्यापक विद्यार्थियों को कैसे समझते हैं, इस पर काफी शोध हो चुका है। शोधकर्त्ताओं ने पाया कि कुछ ऐसे विषय या प्रसंग हैं जो बार–बार उभर कर आते हैं। अध्यापकों के विचार में **"अच्छी लड़की"** से तात्पर्य है वह लड़की जो गुणग्राही हो, शांत चित्त हो, ईमानदार व कर्त्तव्यनिष्ठ हो, दूसरों का लिहाज रखने वाली हो, सहयोग करने वाली, शिष्ट संतुलित, संवेदनषील हो, भरोसेमंद, कुषल, परिपक्व तथा भद्र हो। दूसरी ओर **"अच्छा लड़का"** उसे कहेंगे जो सक्रिय (क्रियाषील), साहसी, आक्रमक, जिज्ञासु, कर्मठ, उद्यमी, स्पष्टवादी, स्वतंत्र तथा मौलिक हो। इन दोनों प्रकार के अवबोधनों में आप क्या अंतर देखते हो। इनमें अधिक क्रियाषील कौन लगता है? और इनमें से कौन अधिक सहनषील तथा आज्ञाकारी प्रतीत होता है? विद्यालय के अंदर लिंग विभेदन के वैधीकरण एक अन्य ढंग, अध्यापकों द्वारा कार्य निर्धारण की लिंग–आधारित विभेदीकृत प्रणाली थी। इनमें से अधिकांष कार्य अधिक मुखरित तथा प्रकट बच्चों को निर्धारित किए जाते थे तथा उन्हीं के द्वारा संपन्न किए जाते थे। ये बच्चे सदा अपेक्षाकृत अच्छे घरों से आते थे, जैसा कि उनके रूपरंग तथा पढ़ाई के प्रति संजीदगी से संकेतित होता था। संभवतः इस प्रकार अध्यापक उन्हें अधिक जिम्मेदार समझते थे।

कार्य

लड़के (मॉनीटर)	लड़कियाँ (मॉनीटर)
• विद्यालय के बाहर के सौंपे हुए कार्य करना, अध्यापकों के लिए खाने पीने के पदार्थ लाना (अध्यापकों के घर जाकर)	• कक्षा की सफाई करना, झाड़ू लगाना, अध्यापकों के मेज–कुर्सी साफ करना, श्यामपट्ट साफ करना
• फर्नीचर इधर–उधर ले जाना/रखना	• अध्यापकों की डायरी, रजिस्टर इत्यादि लॉकर में रखना
• मध्याह्न भोजन के समय सबको भोजन परोसना	• मध्यावकाष के पष्चात् अध्यापकों के चाय के कप वापिस लाना
• कक्षा के विद्यार्थियों (लड़कों) का ध्यान रखना	• अध्यापकों की अनुपस्थिति में या जब अध्यापक कहीं और व्यस्त हों, कक्षा को पढ़ाना
	• पाठ को जोर–जोर से पढ़कर सुनाना
	• श्यामपट्ट पर प्रष्न और उनके उत्तर लिखना
	• कक्षा के विद्यार्थियों (लड़कियों) का ध्यान रखना।

नंदिनी भट्टाचार्य, *Through the Looking Glass: Gender Socialization in a Primary School*.

अन्य संबंधित मुद्दे अनुषासन और इसकी प्रकृति के बारे में हैं। क्या लड़के और लड़कियों को अनुषासन में रखने के लिए अलग–अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है? बच्चे और विशेष कर किषोर व किषोरियाँ इस पर अलग–अलग अनुक्रियाएँ देते हैं।

बच्चों के आपसी संबंध भी एक क्षेत्र है जहाँ हम विद्यालय में लिंग कार्य करता है। शोधकर्त्ताओं ने लड़के और लड़कियों का कक्षा में और खेल के मैदान पर भी प्रेक्षण किया है।

खेल का मैदान, जो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बड़े लोग बच्चों पर कम से कम नियंत्रण का प्रयोग करते हैं और जहाँ बच्चे अपने क्रियाकलाप और साथी चुनने के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं, में भी लिंग के आधार पर व्यापक रूप में अलगाव है। क्रियाकलाप, स्थान और उपकरण बहुत अधिक लिंग आधारित हैं। संक्षिप्त रूप में खेल के मैदान का भूगोल लिंग के अनुसार निष्चित किया जाता है। खेल के मैदान पर क्रियाकलाप और समूहों की मेरी सूचियों ने भी दोनों प्रकार के विद्यालयों में एक जैसे प्ररूप दर्षाएँ। लड़कों का कब्जा उन लम्बे चौड़े निष्चित जगहों पर था जो सामूहिक खेलों के लिए निर्धारित थे जैसे बेसबाल, डायमंड, फुटबाल के लिए बने घास के मैदान, तथा बास्केट बाल कोर्ट। समुद्र के किनारे पर बने स्कूल में एक स्केट बोर्ड क्षेत्र था जहाँ लड़के खेलते थे, यद्यपि कभी–कभी कोई लड़की भी शामिल हो जाती थी। निष्चित जगह जहाँ लड़कियों का आधिपत्य था – बार तथा जंगलिज्म तथा पेंट किया गया सीमेंट का क्षेत्र जहाँ लड़कियाँ फोर स्केयर, जम्परोप तथा हॉप स्कॉच खेलती थी। वे बिल्डिंग के निकट थी और छोटी थी, संभवतः उनका कुछ क्षेत्र लड़कों के क्षेत्र का दसवां भाग था।

बेरिन थॉर्नः *बॉयज एंड गर्ल्स टूगेदर, चिल्ड्रन इन दी प्लेग्राउण्ड*

(Barrie Thorne: *Boys and Girls Together. Children in the Playground*)

बोध प्रष्न

टिप्पणीः क) अपने उत्तर दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

12) कुछ ऐसी विधियों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा षिक्षा महिलाओं के विरुद्ध प्रचलित रूढ़ियों और दमनकारी पद्धतियों को चुनौती दे सकती हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13) क्या आप कुछ ऐसी विधियों की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं जिनके द्वारा आप एक अध्यापक के रूप में अपने विद्यार्थियों की इन पूर्व धारणाओं, कि महिलाएँ क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं, का विरोध कर सकते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

14) लड़के और लड़कियों के लिए किस प्रकार के विद्यालय अधिक अच्छे होंगे – एक लिंगी या मिश्रित लिंगी? इस विषय पर वाद–विवाद के महत्वपूर्ण मुद्दों को लिखिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11.6 लिंग के विषय में मूलभूत सांख्यिकीय आंकड़े

आइए, अब लिंग के विषय में कुछ मूलभूत सांख्यिकीय आंकड़ों पर नजर डालें। हम इस विषय पर सबसे पहले मूल आँकड़ों से आरंभ करेंगे कि किसी दिए समय पर जनसंख्या में कितने बालकों/पुरुषों की तुलना में कितनी बालिकाएँ/महिलाएँ हैं। इसे **लिंगानुपात** कहते हैं। नीचे दिए गए आँकड़ों पर नज़र डालें।

लिंगानुपातः भारत

2011 की जनगणना से अनुमानित आँकड़े

जनगणना वर्ष	1000 बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या (कुल समग्र)	1000 बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या (जन्म से 6 वर्ष तक की आयु तक)
2001	933	927
2011	940	914*

* यह संख्या 1947 से आज तक सबसे कम है।

(**स्रोतः** http://planningcommission.nic.in/data)

कुछ ऐसे सांख्यिकीय मापदंड हैं जिनका प्रयोग सामाजिक यथार्थताओं का मानचित्रण करने तथा उन्हें समझने के लिए किया जाता है। इनमें सबसे मूल है लिंगानुपात जो किसी समय पर किसी जिला/राज्य/या देष के वर्तमान में प्रति हजार पुरुषों की तुलना में महिला जनसंख्या को दर्षाती है। जन्म के समय एक लड़की के जीवित रहने की संभावना लड़के की अपेक्षा अधिक होती है और जीवन पर्यन्त महिलाओं के लिए यह संभावना बनी रहती है। सामान्यतया किसी जनसंख्या में प्रति 100 लड़कियों की तुलना में 105 लड़के जन्म लेते हैं जिसका लिंगानुपात (जन्म के समय) 1.05 आता है। क्योंकि लड़कियों के जीवित रहने की दर ऊँची होती है, 6 वर्ष की आयु तक यह दर बराबर हो जाती है जिसका अर्थ है कि 6 वर्ष तक की आयु तक लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। हालाँकि यह अनुपात समय–समय पर परिवर्तित होता रहता है। 1978 से 1992 तक किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में लिंगानुपात 1.06 था जबकि NHFS-2 (1984-98)[1] तक के सर्वेक्षण में यह अनुपात बढ़कर 1.08 हो गया। लिंगानुपात देष के विभिन्न क्षेत्रों में भी परिवर्तित होता है। ऐसे राज्यों में जहाँ महिलाओं की षिक्षा दर ऊँची है, या मीडिया के प्रभाव के कारण लिंगानुपात 1.05 के निकट है। जैसा कि शोध से पता चला है, ऐसी स्थिति दक्षिण भारत के राज्यों में अधिक पाई जाती है। उत्तर और पष्चिम भारत में लिंगानुपात बहुत ऊँचा है जो सिद्ध करता है कि वहां लिंग वरणात्मक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। नीचे दी गई तालिका में प्रति एक हजार लड़कियों की तुलना में कितने लड़के पैदा हुए, ये संख्याएँ दी गई हैं जो दर्षाती है कि यह अनुपात 1000/914 है। इसका अर्थ है कि यह अनुपात 1.094 जो 1.05 से काफी अधिक है।

भारतः लिंगानुपात (राज्यवार)

राज्य	प्रति 1000 लड़कों की तुलना में पैदा हुई लड़कियों की संख्या (कुल समग्र (तात्कालिक आंकड़े–2011)	लिंगानुपात
पंजाब	897	—
चंडीगढ़	818	1.22
हरियाणा	877	1.14
उत्तर प्रदेष	908	—
जम्मू एवं कष्मीर	883	—
महाराष्ट्र	925	—
केरल	1084	0.92
आंध्र प्रदेष	992	—
तमिलनाडु	995	1.01
पांडिचेरी	1038	0.97

(**स्रोतः** http://planningcommission.nic.in/data)

जरा उपर्युक्त आँकड़ों पर ध्यान दीजिए। इन आँकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में लिंगानुपात 1.01 है और पांडिचेरी में 0.97 है, जो संकेत करते हैं कि यहाँ भ्रूण हत्या के मामले नहीं के समान हैं। अप्रत्यक्ष रूप में ये प्रकट करते हैं कि समाज में महिलाओं की स्थिति चंडीगढ

[1] http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/NFHSbull017.pdf

जैसे राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी है जहाँ लिंगानुपात 1.22 है। चौंका देने वाला यह लिंगानुपात विश्व में सबसे अधिक है। ऊपर दी गई सारणी के अनुसार दिए गए आँकड़ों से अन्य राज्यों के लिंगानुपात की गणना भी करें।

हमने देखा कि वह कारक जो लिंगानुपात को सर्वाधिक प्रभावित करता है, **क्षेत्र** है। पंजाब और हरियाणा देष के वे राज्य हैं जहाँ का सकल घरेलू उत्पाद देष में सबसे ऊँचा है, जो विकास का द्योतक माना जाता है। हम देखते हैं कि यद्यपि पंजाब और हरियाणा आर्थिक संकेतकों की दृष्टि से देष में सबसे विकसित प्रदेष माने जाते हैं परंतु मूल मानव विकास आधारित संकेतकों जैसे लिंगानुपात, के रूप में ये राज्य सबसे नीचे आते हैं। यह हमें एक और महत्वपूर्ण प्रष्न की ओर ले जाता हैः क्या सकल घरेलू उत्पाद विकास का एक मात्र संकेतक है? या विकास को क्षेत्र/राज्य में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति को श्रेष्ठ रूप से समझा जा सकता है? हम देखते हैं कि वे राज्य जहाँ महिलाएँ या लड़कियाँ षिक्षित हैं अथवा संचार माध्यम से प्रभावित हैं, वहाँ लिंगानुपात प्राकृतिक अनुपात के अधिक निकट होता है।

दूसरे कारक जो माता–पिता की लड़कों के लिए प्राथमिकता को प्रभावित करते हैं, निम्नलिखित हो सकते हैंः

- क्या परिवार में पहले से ही जीवित बेटियाँ या बेटे हैं?
- जन्म लेने वाला बच्चा प्रथम है, द्वितीय है या तृतीय है?
- उदाहरण के लिए एक परिवार जिसमें पहले ही दो पुत्रियाँ हैं लिंग वरणात्मक प्रविधियों का चयन कर सकता है, ताकि तीसरी भी पुत्री न हो।
- महिलाओं की षिक्षा का समाज में उनकी प्रतिष्ठा से गहरा संबंध है। षिक्षित महिलाओं के लिए कम संभावना है कि वे परिवार के दबाव में आए कि लड़का ही होना चाहिए। शोध से यह भी स्पष्ट हो गया है कि षिक्षित महिलाओं का परिवार छोटा होता है।
- महिलाओं का संचार माध्यम द्वारा प्रभाव।

बोध प्रष्न

टिप्पणीः क) अपने उत्तर दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

15) लिंगानुपात से क्या अभिप्राय है? वे कौन से कारक हैं जो लिंगानुपात को प्रभावित करते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

16) कुछ राज्यों में चौकाने वाले लिंगानुपात के क्या संभावित कारण हो सकते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

17) इस विचलित लिंगानुपात के क्या निहितार्थ हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

18) उस समुदाय, जहाँ आपका विद्यालय/संस्था स्थित है, का लिंगानुपात ज्ञात कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

क्रियाकलाप-I

भारतः कुल/समग्र अनुमानः आयु अनुसार जनसंख्या बंटन तथा लिंगानुपात रिपोर्ट करने का वर्षः 2009

	पुरुष	महिला	कुल जनसंख्या का %	सैक्स अनुपात
जन्म के समय				1.12 पुरुष/महिलाएँ
0-14 वर्ष	190,075,426	172,799,553	31.1%	1.10 पुरुष/महिलाएँ
15-64 वर्ष	381,446,079	359,802,209	63.6%	1.06 पुरुष/महिलाएँ
65 वर्ष से अधिक	29,364,920	32,591,030	5.3%	0.90 पुरुष/महिलाएँ

(**स्रोतः**http://planningcommission.nic.in/data)

अब उपर्युक्त आँकड़ों को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएः

1) क्या आयु अनुसार जनसंख्या बंटन में लिंगानुपात में कोई अंतर है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) आँकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या पूर्व में लिंग वरण की प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी?

.....

.....

.....

.....

.....

3) अधिकांष लोगों की यह धारणा है कि उदार आर्थिक नीतियों तथा वैष्वीकरण के साथ भारत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है? परंतु उपर्युक्त आँकड़े ये दर्षाते हैं कि पिछले दो दषकों में हमने लिंगानुपात बढ़ते होते देखा है। क्या आप के विचार में आर्थिक नीतियों में बदलावों का संबंध सामाजिक विकास से है?

.....

.....

.....

.....

.....

4) 65 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या में लिंगानुपात पर नजर डालिए। यह अनुपात उच्च क्यों है? क्या इसके कुछ कारण बता सकते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

षिक्षा की स्थिति को समग्र रूप से समझने के लिए कुछ मूल सांख्यिकीय मापदंडों का उपयोग किया जाता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण मापदंड है **सकल पंजीयन अनुपात** (Gross Enrolment Ratio - GER)। सकल पंजीयन अनुपात की गणना करने के लिए मूल सूत्र हैः

$$\text{सकल पंजीयन अनुपात (GER)} = \frac{\text{व्यक्तियों (बच्चों) की कुल संख्या जिन्हें विद्यालय में पंजीकृत (registered) किया गया है}}{\text{व्यक्तियों (बच्चों) की कुल संख्या जिनकी आयु विद्यालय में पंजीकरण के अनुकूल है}}$$

सकल प्राथमिक विद्यालय पंजीकरण अनुपात की गणना करने के लिए प्रायः 6–11 वर्ष तक के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। अतः सकल पंजीयन अनुपात निकालने के लिए हमारे देश भारत में 6–11 वर्ष के कुल बच्चों की तुलना में प्राथमिक विद्यालय में कुल कितने बच्चे पंजीकृत किए गए हैं।

उदाहरण के लिए यदि भारत में कुल 10,000 बच्चे 6–11 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं तथा मान लिया जाए कि प्राथमिक विद्यालय में 8,500 बच्चे पंजीकृत हैं तो सकल पंजीयन अनुपात (प्राथमिक) : 8500/10000= 0.85 होगा।

इसी प्रकार यदि माध्यमिक विद्यालय की सकल पंजीयन अनुपात निकालनी है तो हम देखेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में कुल कितने बच्चे पंजीकृत हैं। इसे हम माध्यमिक विद्यालय के आयु वर्ग में (12–17 वर्ष) कुल बच्चों की संख्या से विभाजित कर देंगे। यहाँ दी गई सारणी में प्रस्तुत आँकड़ों पर नजर डालिए जो वर्ष 2007–08 के लिए भारत में सकल पंजीयन अनुपात बताता है।

सकल पंजीयन अनुपात – प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय (सैक्स आधारित आँकड़े)

रिपोर्ट करने का वर्षः 2009

	पुरुष	महिलाएँ
सकल पंजीयन अनुपात – प्राथमिक	115.9	113.2
सकल पंजीयन अनुपात – माध्यमिक	84	74

(**स्रोतः** http://planningcommission.nic.in/data)

उपर्युक्त सारणी लड़कों के पंजीयन की तुलना में लड़कियों के पंजीयन के विषय में हमें क्या बताती है? लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय पंजीयन की तुलना में माध्यमिक विद्यालय पंजीयन कम क्यों हो गया? 11 वर्ष की आयु के बाद विद्यालय में जाने वाली लड़कियों की संख्या में कमी क्यों आई?

विद्यालयों में बढ़ती आयु की लड़कियों के लिए शौचालय आदि की कमी एक संभावित कारण/कारक हो सकता है जिससे वे विद्यालय जाना बंद कर देती है। कुछ और कारणों के विषय में भी सोचे चाहे वे घर से संबंधित हों अथवा विद्यालय से।

आप अपने राज्य, जिला एवं ब्लॉक के लिए लड़कियों और लड़कों का सकल पंजीयन अनुपात मालूम करें। इनमें एक संभव स्रोत भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा एकत्रित आँकड़ों को जो इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है, हो सकता है। क्या आपको आँकड़ों के अन्य स्रोतों का भी पता है, जैसे परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्ष सर्वेक्षण संगठन तथा यूनेस्को आँकड़े। इन आँकड़ों को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट और पुस्तकालय मददगार हो सकते हैं।

क्रियाकलाप II

प्रत्यक्ष उत्तरजीविता दर – प्राथमिक कक्षाएँ (2005-06)

लिंग	ग्रेड I	ग्रेड II	ग्रेड III	ग्रेड IV	ग्रेड V
लड़के	100	84	79	74	71
लड़कियाँ	100	84	79	81	68
कुल	100	84	79	74	70

स्रोतः मेहता, अरूण सी. (2007), *Student Flow at Primary Level-An Analysis based on DISE Data*. राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रषासनिक विष्वविद्यालय, पृ. 24।

उपर्युक्त सारणी को ध्यान से पढ़ें और इन आँकड़ों पर आधारित निम्नलिखित प्रष्नों का उत्तर दें।

1) लड़के और लड़कियों में से प्राथमिक विद्यालयी षिक्षा पूरी करने की संभावना किसकी अधिक है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) इस असमानता के विद्यालय–आधारित कारण क्या हो सकते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

3) लड़कियों के लिए विद्यालय को अधिक प्रतिभागी तथा अर्थपूर्ण बनाने के लिए आप पाठ्यचर्या और विद्यालय ढाँचे में किन–किन परिवर्तनों का सुझाव देंगे?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

क्रियाकलाप III

तालिकाः 5–14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का बंटन, जो कभी विद्यालय नहीं गए

(प्रति 1000)

विद्यालय न जाने का कारण	वर्ग			
	ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
विद्यालय बहुत दूर	55	43	18	22
परिवार की आय में सहारा देना	30	19	52	14
षिक्षा को जरूरी नहीं समझना	124	172	83	102
घरेलू कार्य करने पड़ते हैं	12	44	7	36
अन्य	579	482	520	519

स्रोतः भारत सरकार (2006), स्टेटस ऑफ एजुकेषन एंड वोकेषनल ट्रैनिग इन इंडिया, 2004–05

उपर्युक्त सारणी में प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रष्नों के उत्तर दीजिएः

1) लड़कियों के विद्यालय में न जाने के (चाहे लड़कियाँ ग्रामीण हो अथवा शहरी क्षेत्र से) मुख्य कारण क्या है?

.....

.....

.....

.....

2) आपके अनुसार इस विषमता के कुछ विद्यालय आधारित कारण क्या हो सकते हैं?

.....

.....

.....

.....

3) निर्धनता तथा विद्यालय का खर्च दो ऐसे कारण हैं जिनसे बच्चे (और मुख्यतः लड़कियाँ) विद्यालय में नहीं जाती। शैक्षिक प्रणाली में इन से कैसे निपटा जा सकता है?

.....

.....

.....

.....

.....

11.7 सारांश

इस इकाई में लिंग तथा यौनता शब्दों में स्पष्ट अन्तर दर्षाने का प्रयास किया गया है। यौनता का संबंध पुरुषों और महिलाओं में उनके जैविकी, शरीर रचनात्मक तथा जननिक या आनुवंषिक अंतरों से है जबकि लिंग का संबंध पुरुष और महिलाओं की सामाजिक तथा सांस्कृतिक भूमिकाओं से है। लिंग की रचना (व्याख्या) सामाजिक है। परिवार, धर्म, विधिक (कानूनी) तंत्र तथा संचार माध्यम सभी पुरुष प्रधान है। किसी भी समाज में लिंग अकेला कार्य नहीं करता। यह अन्य कारकों, जैसे आर्थिक, प्रतिष्ठा, धर्म तथा जाति के साथ मिलकर कार्य करता है। विद्यालय में लिंगीय मुद्दे गुप्त पाठ्यचर्या में विद्यमान तो हैं परंतु उनका अस्तित्व नहीं के बराबर रहता है। अभिगम्यता में, दैनिक विद्यालयी जीवन तथा आपसी संबंधों में लिंगीय मुद्दे सम्मिलित होते हैं। अध्यापक के रूप में हमें इन मुद्दों से अवगत होना चाहिए और इनसे ठीक प्रकार से निपटना चाहिए।

11.8 इकाई के अंत में अभ्यास

1) लड़कियों और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए सामाजिक अभिवृत्तियों में किस प्रकार का बदलाव लाने की आवष्यकता है? चर्चा करें।

2) एक प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में एक क्रियाकलाप की कल्पना करें जिसमें आप बच्चों की विभिन्न भूमिकाएँ करने की देते हैं। इस प्रकार के प्रदत्त क्रियाकलाप की एक सूची तैयार करें और विश्लेषण करके देखें कि इनमें कुछ लिंग संबंधी अंतर तो नहीं है।

11.9 बोध प्रष्नों के उत्तर

1) लिंग शब्द व यौनता शब्द के अर्थों में अंतर होता है। यौनता का संबंध पुरुषों व महिलाओं में पाए जाने वाले जैविक, शरीर रचनात्मक, तथा जननिक (आनुवंषिक) अंतरों से है जबकि लिंग का संबंध पुरुषों और महिलाओं की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं से है।

2) अपने उत्तर स्वयं लिखें।

3) अपने उत्तर स्वयं लिखें।

4) अपने उत्तर स्वयं लिखें।

5) परिचालन/व्यवहार कौषल, सरणीबद्ध करना (canalisation), भाषा का प्रयोग तथा सक्रियता प्रभावन (activity exposure) का स्पष्टीकरण उदाहरण सहित दें।

   उन कठोर लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से, जिनके साथ बच्चे कक्षा में आते हैं, निपटना

   - विभिन्न स्थितियों में एक अध्यापक के रूप में अपने व्यवहार को पर्यवेक्षित करें (क्या आप लड़के और लड़कियों को एक जैसा समझते हैं)
   - लिंग पर ध्यान दिए बिना सभी बच्चों की योग्यताओं को पहचानिए।
   - लड़के और लड़कियों को एक जैसे क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए लिंगीय समानता को पोषित करें।
   - ग़ैर–परंपरागत लैंगिक भूमिकाओं में लोगों के मॉडलों के प्रति बच्चों का अपावरण करें।

6) अपनी टिप्पणियाँ स्वयं लिखें।

7) पित्तृसत्ता–पुरुष प्रधानता, श्रेष्ठता, पुरुष नियंत्रण का एक रूप है जिसमें महिलाओं को अधीनस्थ समझा जाता है।

8) अपनी टिप्पणियाँ स्वयं लिखें।

9) अपनी टिप्पणियाँ स्वयं लिखें।

10) गुप्त पाठ्यचर्या आलेखित सामाजिक नियमावली व्यवहार संबंधी अपेक्षाओं को वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। इन सबसे हम अवगत तो हैं परंतु ये चीजें कभी पढ़ाई नहीं गई।

11) लड़के और लड़कियों की विद्यालयी यूनिफार्म में अंतर लिंग संबंधी अंतर को बल देता है।

- जिस प्रकार अध्यापक लड़के और लड़कियों को झिड़कते हैं वह रूप भी लैंगिक अंतर को बढ़ावा देता है।

12) अपनी टिप्पणियाँ स्वयं लिखें।

13) लड़के और लड़कियों को समान अवसर प्रदान करना, लड़के और लड़कियों को अनुषासित करने में एक जैसी विधियों का प्रयोग करना।

14) अपनी टिप्पणियाँ स्वयं लिखें।

15) अपनी टिप्पणियाँ स्वयं लिखें।

16) लिंगानुपात किसी जनसंख्या में महिलाओं की संख्या के साथ पुरुषों की संख्या का अनुपात होता है।

17) षिक्षा, समाज में महिलाओं की स्थिति (प्रतिष्ठा) तथा संचार माध्यमों के प्रति प्रभावन।

18) कन्या भ्रूण हत्या।

19) आँकड़े एकत्रित करें तथा परिणाम देखें।

11.10 पठनीय सामग्री

- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद (2005). पोजीषन पेपर ऑन जेंडर इष्यूज इन एजूकेषन, एन.सी.ई.आर.टी., पृष्ठ–1–6, 13–14, 18–22, 23–26, 41–46
- भसीन, के. (1998) लड़का क्या है, लड़की क्या है? नई दिल्ली, जगोरी
- कुमार, के. (1992) व्हॉट इज वर्थ टीचिंग? नई दिल्ली : ओरियण्ट लॉगमैन
- रज्जाक, ए. (1991) ग्रोइंग अप मुस्लिम, सेमीनार (387) नवम्बर 1991, संस्करण
- वीरम्मा एवं रुसिन जे. एल. (1997). वीरम्मा : लाइफ ऑफ ए दलित, नई दिल्ली : फाउन्डेषन बुक्स
- भसीन.के. (1993) व्हॉट इन पैट्रिआर्की? नई दिल्ली, काली फॉर वूमेन

- भसीन.के. (2003) अन्डरस्टैडिंग जेंडर, नई दिल्ली : वूमेन अनलिमिटेड
- भट्टाचार्यजी, एन. (1999) थ्रू द लुकिंग ग्लॉस : जेंडर सोषलाइजेषन इन ए प्राइमरी स्कूल, टी. एस. सरस्वती (संपा.) कल्चर, सोषलाइजेषन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट : थियरी, रिसर्च एंड एप्लीकेषन इन इंडिया : नई दिल्ली : सेज पब्लीकेषन्स में उद्घृत
- वीयूवियर एस.डी. (1949) द सेकेन्ड सैक्स, न्यूआर्क : मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस
- चंदा. आई (2009), वर्थिग टेरिबल ब्यूट्रीज : फेमिनिज्म एंड वूमेन मैगजीन, फेमिनिज्म इन इंडिया, चौधरी एम. (संपा.) भाग–2 : कॉन्टैम्पोरेरी इन्डियन फेमिनिज्म, नई दिल्ली : काली फॉर वूमेन
- देसाई एन. एवं ठक्कर, यू. (2001) वूमेन इन इन्डियन सोसाइटी : नई दिल्ली : नवभारत टाइम्स
- दूबे. एल. (2001) एन्थ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लोरेषन इन जेन्डर : इन्टरसेक्टिंग फील्ड्स : नई दिल्ली : सेज पब्लिकेषन
- सेन, ए. (1994). इकोनॉमिक्स एंड द फैमिली, ओबरॉय, पी. (1994). मिक्स्ड सिग्नल्स, सेमीनार इष्यू, अंक–424, नई दिल्ली में।
- थोर्न. वी. (1993). जेंडर प्ले – गर्ल्स एंड ब्यॉज इन स्कूल, न्यू ब्रून्सविक, न्यूजीलैंड : रुटगर्स यूनीवर्सिटी प्रेस एंड वकिंघम, इग्लैंड : ओपन यूनीवर्सिटी प्रेस
- वॉडले, एस.एस. (2002). वन स्ट्रा फ्रॉम ए ब्रूम कैननॉट स्वीप, इन माइन्स, डी. एवं लैम्ब एस. (संपा.) ऐवरीडे लाइफ इन साउथ एषिया, ब्लूमिंगटन : इंडियाना यूनीवर्सिटी प्रेस में उद्घृत